फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भैरू बनाम कालु (वगैरा)

केरम मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं0 53 सन 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
5.7.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27.8.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
27.8.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है अतः पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
8.11.21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प जोरावरपुरा मे पेश हुई अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए एवं पटवार हल्का पटवारी द्वारा मौका रिर्पोट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर अभिलेख से कायम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मा संख्या :- 53/21 प्रा०पत्र प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

श्री भैरू s/o श्री पेमा कलवाल निवासी- जोरावरपुरा तहसील -मांडल --प्रार्थी

बनाम

1 कालु s/o जवाहरमल जाट निवासी - जोरावरपुरा त० मांडल (कौरा) --विपक्षीगण (संलग्न प्रा०पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 8.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील मांडल/में उसके /संयुक्त खातों की आराजी नं. 430, 432, 434, 435, 436 कुल किता 05 1.3405 हेक्टेयर — स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी येवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते स्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.7.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का कारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक न्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा र हल्का जोरावरपुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 430, 432, 434, 435, 436 कुल किता 05 रकबा 1.3405 हेक्टेयर — के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । गढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कारोई को 600/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस मौके पर जमा करावें । नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थर गढ़ी न की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:27:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

लपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की र पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021